बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
<u>सकारण आदेश</u>

संवेदक M/S D. K. Brothers Trade Con(Regd. No-1230442), Vill-Paharpur, Post-Dariyapur, PS-Barahiya, Dist-Lakhisarai, Pin-811302 पथ निर्माण विभाग के अधीन निविदा में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय का पत्रांक 783 दिनांक 24.06.2022 द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया गया।

उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत पाया गया कि संवेदक द्वारा अपलोड किये गये अनुभव प्रमाण पत्र में Bituminous Mastic work का उल्लेख किया गया है, जबकि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इस item का कार्य कभी हुआ ही नहीं। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र का वित्तिय वर्षवार Quantity ब्रेकअप का मिलान मापी पुस्त से कराने के उपरांत पाया गया कि मापी पुस्त में Bituminous Mastic work का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।

संवेदक से अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति की मांग करने पर उनके द्वारा बताया गया कि मूल अनुभव प्रमाण पत्र चोरी हो गया है, साथ ही उक्त के संबंध में संवेदक द्वारा बतया गया कि उनके द्वारा एफ0आई0आर0 भी कराया गया है। थाना अध्यक्ष, बड़हिया से संपर्क स्थापित करने पर उनके द्वारा बताया गया कि एफ0आई0आर0 में अनुभव प्रमाण पत्र चोरी होने की बात का उल्लेख नहीं है।

निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु किये गये अनुशंसा के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई किये जाने के पूर्व किये गये कारणपृच्छा के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 07.03.2026 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए आरोप के बिंदु पर बताया गया है कि *"जब ग्रामीण कार्य विभाग बिटुमिनस मस्टिक कार्य नहीं कराती है तो मुझे इस आशय का अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत ही नहीं किया जाना चाहिए था।"*

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर Bituminous Mastic work की प्रविष्टि की गई है एवं पथ निर्माण विभाग की निविदा में जाली अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपलब्ध न कराकर पथ निर्माण विभाग की निविदा में अनियमितता करने का प्रयास किया गया है। साथ ही मूल अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति के संबंध में एफ0आई0आर0 की बात कहना, जबकि एफ0आई0आर0 में अनुभव प्रमाण पत्र के चोरी होने का कोई उल्लेख नहीं है, विभाग को भ्रमित करने का प्रयास है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग के अधीन निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने संबंधी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(ix) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के आलोक में संवेदक M/S D. K. Brothers Trade Con(Regd. No-1230442), Vill-Paharpur, Post-Dariyapur, PS-Barahiya, Dist-Lakhisarai, Pin-811302 को 02(दो) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

07.03.2026

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

P.T.O.

58

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–62/2025 2990 /पटना, दिनांकः– 9.3.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–62/2025 2990 /पटना, दिनांकः– 9.3.26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग,/भवन निर्माण विभाग /जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.26

अभियंता प्रमुख

निबंधित/ईमेल

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–62/2025 2990 /पटना, दिनांकः– 9.3.26

प्रतिलिपिः–M/S D. K. Brothers Trade Con(Regd. No-1230442), Vill-Paharpur, Post-Dariyapur, PS-Barahiya, Dist-Lakhisarai, Pin-811302को सूचनार्थ प्रेषित।

09.03.26

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–62/2025 2990 /पटना, दिनांकः– 9.3.26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.26

अभियंता प्रमुख